तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज विशालसिंह बनाम लो.सू.अ.(अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 138 / 2017	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.12.17	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी विशालसिंह पुत्र जालमसिंह पता ग्रा.पो. सोवनियां तह. पीपाड़सीटी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 12.07.2017 में उसके द्वारा (1) मेरे द्वारा दिनांक 20.12.2016 को आपके कार्यालय में एक प्रार्थना–पत्र पेश किया गया था जिसकी फोटो प्रति इस आवेदन के साथ संलग्न है दिनांक 20.12.2016 के प्रार्थना–पत्र के सन्दर्भ में आपके द्वारा क्या कार्यवाही की गई बतावे एवं यदि आपके कार्यालय द्वारा अन्य संबंधित अधिकारियों को कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया तो उन पत्रों की फोटो प्रति, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 1319 दिनांक 20.09.17 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें जाहिर किया कि विशालसिंह द्वारा चाही गई सूचना से संबंधित कार्यालय के पत्रांक 1013 दिनांक 14.07.17 द्वारा सूचित किया जा चुका है कि कार्यालय की आवक पंजिका के कम सं. 17223 दिनांक 22.12.16 को दर्ज किया जाकर मूल ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर को भिजवाया जा चुका है।चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है अतः अपील निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। ओदश [illegible] गया।	